12/04/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि आवेदक प्रार्थी ने इनके द्वारा ग्राम भागली परवार हल्का पेरवा में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नं. 338/1 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए कोई रेकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से ग्राम भागली में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि 336, 338 रकबा क्रमश: 0.22 हैक्टर, 0.93 हैक्टर था तथा ग्राम बिसलपुर स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं. 1186 रकबा 1.40 हैक्टर में से 30 फीट चौड़ा रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A के तहत उपलब्ध कराए जाने का निवेदन किया। इस संदर्भ में तहसीलदार बाली से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिए जाने पर कुल 1836 वर्गमीटर भूमि (सिवायचक) प्रभावित होना वर्णित है किसी निजी खातेदार की भूमि प्रभावित नहीं है। इस सम्बंध में राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक: प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2017 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अध्ययन से ज्ञात है कि केवल सिवायचक भूमियों में से ही किसी खातेदार को रास्ता दिए जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम जो की तामील हुए
	व्यवहार में राजकीय सिवायचक भूमियों से आने-जाने के लिए अर्थात् आम प्रयोजन के लिए किसी पक्ष को भूमिधारी द्वारा नहीं रोका जाता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार बाली प्रकरण का यदि मौके पर कदीमी रास्ता मौजूद है तो कदीमी रास्ता के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र/निर्देशों की पालना में कदीमी रास्ता दर्ज कराए जाने हेतु पृथक से कार्यवाही कर सकते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला-पाली) राज.	